न्यायालय सहायक कलक्टर(FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS
पत्रावली संख्या : 34/19 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्रीमती रेखाबाई पत्नी हरिश हरजोत मेनारिया ब्राहम्ण निवासी रून्डेडा तह. वल्लभनगर।

.....प्रार्थीयां

बनाम

1. श्रीमती प्यारी बाई पत्नी भेरूलाल जणवा निवासी ईन्टाली तह. मावली।
2. श्रीमती कंकुबाई पुत्री भेरूलाल पत्नी किशनलाल जणवा निवासी ईन्टाली तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सुरेश मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थीयां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.10.2020

1. प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली की आराजी नम्बर 3346 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा लगानी 3.33 रूपया स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भेरूलाल पिता गुलाब 1/2 जणवा सा. देह रेखा बाई पत्नी हरिश हरजोत मेनारिया ब्राहम्ण निवासी रून्डेडा तह. वल्लभनगर खातेदार के नाम अंकित हैं। ताईद में नकल जमाबन्दी पेश हैं। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार भेरूलाल पिता गुलाब जी जणवा का निधन हो चुका हैं जिनके विधिक वारिसान विपक्षी सं. 1 व 2 हैं। उक्त वर्णित आराजी का 1/2 हिस्सा प्रार्थीयां स्वअर्जित होकर प्रार्थीयां उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर क्रय की दिनांक से ही काबिज हो काश्त करती चली आ रही हैं। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीयां का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा हक अधिकार हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:47:23 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 व 2 के पिता पति श्री भेरूलाल के नाम हिस्सा बराबर से अंकित हो उक्त भूमि का मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से कानूनी रूप से विभाजन किया हुआ नहीं है जिससे विपक्षी सं. 1 व 2 प्रार्थीयां को अपने हक हिस्से कब्जे की भूमि में आए दिन कभी फसल तो कभी घास को लेकर लडाई झगडा करती है और मना करने पर वे भी नहीं मानती हैं।
3. उक्त वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से की प्रार्थीयां खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हो प्रार्थीयां के 1/2 हक हिस्से खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार से दखल करने का विपक्षीगण 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है लेकिन विपक्षी सं. 1 व 2 आए दिन प्रार्थीयां को उसके हक हिस्से कब्जे एवं खातेदारी की भूमि में नूकसान पहुंचाने की धमकीयां देती है और मना करने पर भी नहीं मान रही है और दिनांक 08.10.19 को भी विपक्षी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीयां के हक हिस्से कब्जे की भूमि में अनाधिकार प्रवेश कर पाली से घास को काट डाला जिसके लिए ओलम्ब दिया तो विपक्षी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीयां के साथ भारी लडाई झगडा किया, गाली गलोच की एवं धमकी दी कि वादग्रस्त कुलीया भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थींया को बेदखल कर देगी एवं इस भूमि में अब कभी भी प्रार्थीयां को फसल काश्त नहीं करने देगी जब कि उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।
4. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीयां के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूल वाद आज ही इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि उक्त वर्णित कानूनी रूप से विभाजन कराये, प्रार्थीयां की भूमि में आवे नहीं, जावे नहीं, जबरन कब्जा नहीं करे, बाड, पेड, फसल आदि को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचावे। दौराने वाद रहन बैह बक्षीस आदि तरीको से हस्तान्तरित नहीं करें। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीयां के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करें। यह कार्य विपक्षीगण स्वयं अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नहीं करें न करावे।
5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:47:23 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अधिवक्ता वादीयां की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता वादीयां की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयां रेखाबाई एवं खातेदार भेरूलाल जणवा के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 भेरूलाल के वारिस हैं। खातेदार भेरूलाल का निधन हो चुका हैं। वादीयां द्वारा बंटवाडे का वाद पेश किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से प्रार्थीयां व विपक्षी सं. 1, 2 के मौरूस दोनो ही खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में दोनो ही खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीयां के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

2. *अपूरणीय क्षति—* भूमि के प्रार्थीयां एवं भेरूलाल के नाम दर्ज होकर प्रार्थीयां व विपक्षी सं. 1, 2 दोनों ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं, प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1, 2 भेरूलाल के वारिस के रूप में काबिज है। यदि विपक्षी सं. 1, 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा को यदि कन्फर्म किया जाता है तो विपक्षी सं. 1, 2 को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के विरूद्ध साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीयां के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

3. *सुविधा का संतुलन—* प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीयां के विरूद्ध में निर्णित किया जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीयां के विरूद्ध में निर्णित किया जाता हैं।

8. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीयां द्वारा विपक्षी सं. 1, 2 के विरूद्ध बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीयां द्वारा 1/2 हिस्सा क्रय कर क्रय दिनांक से मौके पर काबिज होना बताया हैं शेष 1/2 हिस्सा खातेदार भेरूलाल के नाम दर्ज हैं। भेरूलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस विपक्षी सं. 1, 2 अपने हिस्सेनुसार भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीयां द्वारा विपक्षी सं. 1, 2

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:47:23 IST
Reason: SelfAttested

को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीयां व भेरूलाल खातेदार काश्तकार हैं। भेरूलाल की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस विपक्षी सं. 1, 2 का स्वतः ही हक अधिकार निहित हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा, एवं उसे भारी असुविधा का सामना करना पडेगा।

9. विपक्षी सं. 1, 2 भेरूलाल के विधिक वारिस होकर खातेदार काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। जैसा की माननीय न्यायालय की नजीर ''RRT 2016-17 (supp) Page 637, Malkiyat Kaur & Anr. Vs. Malkiya Kaur & Ors. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 Temporary injuction Application rejected-Concurrent findings– Non-petitioner No.4 purchased the land from the non-petitioner No. 1 to 3 & he is recorded khatedar of the land-No T.I. can be granted against a recorded khatedar – No primafacie case made out-Neither balance of convenience non irreparable loss is infavour of the petitioners-Held, Revision dismissed.'' और ''RRT 2013 (2) RRT 1108, Kiran & Ors. Vs. Ajay Kumar & Anr. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 – Temporary injunction – Defendant are the co-khatedars & no T.I. can be grantes & cannot be restrained to sell their share – Held, Order of granting T.I. set aside." और ''RRT 2016 (1) RRT 113, Chawali & Ors. Vs. Balki Devi & Ors. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 – Plaintiff & defendants both files the application for granting Y.I. – One co-tenant cannot claim T.I. against the another co-tenant – Held, Orders passed by the Courts below are erroneous & set aside." |

10. माननीय न्यायालय की नजीरों से स्पष्ट है कि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। उक्त नजीरें इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीयां के विरूद्ध निर्णित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1, 2 खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:47:23 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:47:23 IST
Reason: SelfAttested